रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 141] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 17, 1986/चैत्र 27, 1908
No. 141] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 17, 1986/CHAITRA 27, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में प्राधिकार से प्रकाशित
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 अप्रैल 1986

अधिसूचना

का. आ. 198(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना सं. 4/3/73-वक्फ, तारीख 30 दिसम्बर, 1975 (जो अधिसूचना सं. का. आ. 347, तारीख 30 दिसम्बर, 1975 के साथ भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड (2), तारीख 17 जनवरी, 1978 में प्रकाशित की गई थी) के साथ पठित, वक्फ अधिनियम, (1954 (1954 का 29) की धारा 64 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब वक्फ बोर्ड के प्रतिष्ठित रहने की अवधि को, जो भारत सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 228(अ) तारीख 11 अप्रैल, 1983 के साथ पठित,

भारत सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना सं., का. आ. 796 (अ) तारीख 11 नवम्बर, 1981, सं. का. आ. 68 (अ) तारीख 9 फरवरी 1982, सं. का. आ. 105(अ) तारीख 9 फरवरी, 1983 सं. का. आ. 64 (अ) तारीख 2 फरवरी, 1984 और सं. का. आ. 95 (अ) तारीख 5 फरवरी, 1985 में विनिर्दिष्ट है, 1 मई, 1986 से 30 अप्रैल, 1987 तक की और अवधि के लिए बढ़ाती है और यह निदेश देती है कि और आदेश होने तक ऐसी सभी शक्तियों और कर्तव्यों का, जिनका उक्त अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन पंजाब वक्फ बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग या पालन किया जा सकता है, श्री नसीम अहमद, कृषि निदेशक, हरियाणा सरकार द्वारा प्रयोग और पालन किया जाएगा।

[सं. 4(2)/86/-वक्फ]

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

और उनके नाम में

एस० एम० वाई० नदीम, उप सचिव

MINISTRY OF WELFARE

New Delhi, the 17th April, 1986

NOTIFICATION

S. O. 198 (E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 64 of the Wakf Act, 1954 (29 of 1954), read with the notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) No. 4/3/73—Wakf, dated the 30th December, 1975 (Published as notification No. S. O. 247, dated the 30th December, 1975 in the Gazette of India, Part II—Section 3 Sub-section(ii), dated the 17th January, 1976, the Central Government hereby extends the period of supersession of the punjab Wakf Board specified in the notifications of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) No. S. O. 796 (E), dated the 11th November, 1981, No. S. O. 68(E), dated the 9th February, 1982, No. S. O. 105 (E), dated the 9th February, 1983, No. S. O. 64(E), tdated the 2nd February, 1984, and No. S. O. 95(E), dated the 5th February, 1985, read with the notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) No. S. O. 288 (E), dated the 11th April, 1983, by a further period on and from the 1st day of May, 1986 to 30th day of April, 1987 and directs that until further orders, all the powers and duties which may, by or under the provisions of the said Act, be exercised or performed by or on behalf of the Punjab Wakf Board, shall continue to be exercised and performed by Shri Naseem Ahmad, Director of Agriculture, Government of Haryana.

By Order and in the Name of the President of India.

[No. 4(2)/86-Wakf]

S. M. Y. NADEEM, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986